न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**
आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
अमराराम पुत्र समरथा जाति कोली निवासी बामनवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर		राज्य सरकार जरिए, तहसीलदार रानीवाडा

प्रकरण संख्या अपील 17/2019

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-
1-श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक अपीलान्ट
2-श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-13.08.2019

अपीलान्ट के द्वारा यह अपील तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 28/2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 शीर्षक सरकार बनाम अमराराम पुत्र समरथा जाति कोली निवासी बामनवाडा तहसील रानीवाडा में पारित आदेश दिनांक 13.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का धामसीन द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत एक रिपोर्ट तहसीलदार रानीवाडा को पेश कर निवेदन किया है कि सायल द्वारा मौजा बामनवाडा के खसरा नंबर 672 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन नाला पर नाजायज रूप से अतिक्रमण किया जाकर कब्जा पाल बनाई गई है जिसे तलब कर हटाने की कार्यवाही करावे। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण दर्ज कर दिनांक 20.05.2019 को पत्रावली पेशी पर ली गई।दिनांक 20.05.2019 को गैर सायल अमराराम हाजिर हुये तथा पत्रावली 21.05.2019 को पेश की गई।दिनांक 21.05.2019 को गैर सायल ने प्रकरण का जबाब न्यायालय में पेश किया गया तथा प्रकरण आगे की पेशी 27.05.2019 को रखी गई।दिनांक 27.05.2019 की पत्रावली दिनांक 13.06.2019 को रखी गई।दिनांक 13.06.2019 को पत्रावली पेश हुई, गैर सायल अनुपस्थित पटवारी हल्का ने जाहिर किया कि गैर सायल ने कब्जा नही हटाया, गैर सायल के विरूद्ध आर.एल.आर.91(4)के अन्तर्गत ग्राम बामनवाडा के खसरा नंबर 672 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन बाला में पश्चातवृति अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना,बेदखली के आदेश एवं 90 दिन की सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है।उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर कोई गौर न कर मातहत पटवारी हल्का के कहे अनुसार गलत तरीके से अपीलार्थी को अतिक्रमी माना है, किया गया आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।गैर सायल द्वारा प्रकरण में दिनांक 20.05.2019 को जबाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 637,681 आई हुई है उक्त दोनो भूमि के बीच गैर मुमकिन नाला आया हुआ है जिस पर अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नही है।पटवारी हल्का धामसीन ने भी दिनांक 04.05.2019 को अपनी मौका रिपोर्ट में यह बताया कि मौके की जांच अनुसार खसरा नंबर 637 व 681 के बीच नाले की भूमि पर अतिक्रमण नही पाया गया है उक्त बात अपीलार्थी द्वारा अपने जबाब में अधीनस्थ न्यायालय को बता दी गई थी।उक्त मौका फर्द एवं जबाब को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दरकिनार करते हुये

गलत तरीके से उक्त निर्णय पारित किया है जिससे किया गया आदेश खारिज योग्य है।गैर मुमकिन बाला जिसके खसरा नंबर 672 है की मेडबंदी बाबत जिला परिषद ग्रामीण प्रकोष्ठ जालोर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश दिनांक 31.07.2008 को जारी हुये थे,उक्त आदेश के क्रम संख्या (26)में 2,09000/-रूपये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर मेडबंदी का कार्य करवाया गया था उक्त कार्य सन 2008-2009 में पूर्ण कर दिया गया था उक्त आदेशो की नकल श्रीमान के समक्ष पेश है।अपीलांर्थी द्वारा गैर मुमकिन नाले पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है।राज्य सरकार ने बरसाती पानी से जमीन को कटाण को रूकवाने हेतु राज्य सरकार की मेडबंदी योजना के तहत उक्त कार्य करवाया था।राणाराम पुत्र मंशाराम मेघवाल व उसके परिवार वालो ने उक्त मेडबंदी को तोडने के लिये झुठी शिकायत मुझ अपीलांर्थी के विरूद्ध प्रस्तुत की थी।उक्त झुठी शिकायत के आधार परपटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर गलत तरीके से अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है एवं तहसीलदार द्वारा पत्रावली पर दस्तावेजो पर गौर नही कर बेंदखली का आदेश व तीन माह का सिविल कारावास की सजा दी गई है, किया गया आदेश खारिज योग्य है।अपीलार्थी द्वारा गैर मुमकिन नाला पर कोई पक्का निर्माण नही किया गया है।राज्य सरकार के आदेशानुसार खसरा नंबर 637, 681, के बीच नाले पर भूमि के कटाव को रोकने के लिए मेडबंदी का कार्य किया गया है,यदि उसे हटाया गया तो राज्य सरकार के पैसे का नुकसान होगा।अपीलार्थी के द्वारा उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है।तहसीलदार द्वारा किया गया आदेश खारिज योग्य है।अपील अन्दर म्याद पेश है।अत: अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 13.06.2019 को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को विस्तृत रूप से दौराहते हुये अपीलांट अमराराम का शपथ पत्र आज दिनांक 13.08.2019 को प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मौजा बामनवाडा के खसरा नंबर 672 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन नाला पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण कर मेडबंदी का निर्माण नही किया गया है।खसरा नंबर 672 के दोनो तरफ खसरा नंबर 637 व 681 अपीलांट की खातेदारी आराजी स्थित है।अपीलांट के खातेदारी कृषि भूमि के कटाव को रोकने के लिये राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत नाले की भूमि के दोनो तरफ मेडबंदी सरकार की ओर से करवाई गई है। नाले की भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण कर मेडबंदी नही की गयी है।विचाराधीन अपील में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पत्रांक/5353 दिनांक 07.08.2019 के जरिये माननीय न्यायालय में रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है।कि अमराराम पुत्र समरथाराम जाति कोली साकिन बामनवाडा ने मौजा बामनवाडा के खसरा नंबर 672 किस्म गैर मुमकिन नाला में 0.01 हैक्टर पर अतिक्रमण कर प्राकृतिक बहाव अवरूद्ध किया था। उस बाधी गई पाल को हटा दिया गया है जिस से बहाव अवरूद्ध नही होगा। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट का वाद ग्रस्त आराजी पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नही है। क्यो कि तहसीलदार द्वारा बताये गये अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।तथा शपथ कर्ता अपीलांट अमराराम द्वारा खसरा नंबर 672 गैर मुमकिन नाले पर भविष्य में भी कोई अतिक्रमण नही किया जायेगा। अत:अपीलधीन आदेश दिनांक 13.06.2019 को अपास्त कर अपीलांट को सिविल कारावास की सजा के दंड से मुक्त करावे।

सरकारी वकील द्वारा बहस के दौराहन तर्क दिया गया कि अपीलांट द्वारा सन् 2018 में उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर दिनांक 06.09.2018 को बेदखली आदेश व जुर्माने से दंडित किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 2019 में पुन:इसी आराजी पर अतिक्रमण करने के आधार पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित कर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा निर्णय दिनांक 13.06.2019 के जरिये बेदखली व जुर्माने के साथ 90 दिन के सिविल कारावास के दंड से दन्डित किया गया है। उक्त आदेश निरस्त किये जाने की स्थिति में अपीलांट द्वारा पुन:इस आराजी पर अतिक्रमण किये जाने की सम्भावना बन सकती है।अत:अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस के बिन्दुओ पर मनन भी किया जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा मौजा बामनवाडा के खसरा नंबर 672 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन नाला पर सम्बत 2075 में अतिक्रमण किया जाने पर धारा 91 आर.एल.आर एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 06.09.2018 को निर्णय पारित कर बेदखली व जुर्माने से दंडित किया गया था तत्यपश्चात अपीलांट द्वारा सम्बत 2076 में खसरा नंबर 672 रकबा 0.01 हैक्टर पर पुन:अतिक्रमण किये जाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 13.06.2019 के जरिये बेदखली व जुर्माना के साथ 90 दिन के सिविल कारावास के दंड से दंडित किया गया है।तहसीलदार रानीवाडा के पत्रांक/5276 दिनांक 24.07.2019 अनुसार मौजा बामनवाडा के खसरा नंबर 637 व 681 की मेडबंदी ग्राम पंचायत धामसीन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत मेडबंदी का निर्माण करवाया गया।उक्त दोनो खसरो के बीच खसरा नंबर 672 किस्म गैर मुमकिन नाला स्थित है।नाले को मिट्टी डालकर अवरूद्ध किया जाना पाया गया।तथा श्री अमराराम ने अतिक्रमण नही हटाया है।अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 672 पर स्वय् हुए अतिक्रमण नही किया जाना बताते हुये दिनांक 31.07.2019 को कथन किया गया कि तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण होना बताया जाने पर अपीलांट अतिक्रमण हटवाने में सहमत है।इस आधार पर तहसीलदार रानीवाडा से रिपोर्ट चाही जाने पर क्रमांक/5353 दिनांक 07.08.2019 के जरिये प्राप्त हुई जिसके अनुसार अमराराम पुत्र समरथाराम जाति कोली साकिन बामनवाडा ने मौजा बामनवाडा के खसरा नंबर 672 किस्म गैर मुमकिन नाला में 0.01 हैक्टैयर पर अतिक्रमण कर प्राकृतिक बहाव को अवरूद्ध किया था। मौके पर भू अभिलेख निरीक्षक बडगांव द्वारा दिनांक 07.08.19 को जांच करने पर नाले पर बांधी गयी पाल को हटा दिया गया है। जिससे प्राकृतिक बहाव अवरूद्ध नहीं होगा। इसी के समर्थन में बहस के दौरान अपीलांट द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि मुझ शपथ कर्ता ने मौजा बामनवाडा के खसरा नंबर 672 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला पर जो अतिक्रमण तहसीलदार द्वारा बताया गया था वह हटवा दिया गया है। उक्त गैर मुमकिन नाले पर कोई अतिक्रमण नहीं है। मै शपथ कर्ता खसरा नंबर 672 गैर मुमकिन नाले पर भविष्य में भी कोई अतिक्रमण नही करूंगा।उपरोक्त तथ्यों के अनुसार अपीलांट की खातेदारी आराजी के बीच गैर मुमकिन नाला स्थित है खातेदारी भूमि की मेडबंदी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत निर्मित हुयी है। मेडबंदी के दौरान गैर मुमकिन नाले की भूमि पर अपीलांट द्वारा किये गये अतिक्रमण को तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बताये अनुसार मौके पर से हटाया जा चुका है एवं भविष्य में उक्त नाले की आराजी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किये जाने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि तहसीलदार रानीवाडा द्वारा मुकदमा संख्या 28/19 निर्णय दिनांक 13.06.19 में गैर सायल अमराराम पुत्र समरथाराम जाति कोली निवासी बामनवाडा को 90 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये गये आदेश को अपास्त करते हुये बेदखली एवं जुर्माना राशि को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

SD-

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

SD-

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 18:47:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: